भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 752

उत्तर देने की तारीख 29.07.2024

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

752 # **श्री नीरज डांगीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता में कितनी वृद्धि की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क): वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्कीम की शुरुआत से, 25,263.32 करोड़ रु. की कुल मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ देश भर में लगभग 9.65 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है और 78.84 लाख व्यक्तियों को अनुमानित रोजगार प्रदान किया गया है।

शुरुआत से दिनांक 12.07.2024 तक संवितरित एमएम के संदर्भों में वर्ष वार वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**सहायता-प्राप्त इकाइयां**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु.)**
1	वित्तीय वर्ष 2008-09	19,166	356.23
2	वित्तीय वर्ष 2009-10	40,918	762.44
3	वित्तीय वर्ष 2010-11	49,064	891.18
4	वित्तीय वर्ष 2011-12	55,135	1,057.84
5	वित्तीय वर्ष 2012-13	57,884	1,080.66
6	वित्तीय वर्ष 2013-14	50,493	1,076.44
7	वित्तीय वर्ष 2014-15	48,168	1,122.54
8	वित्तीय वर्ष 2015-16	44,340	1,020.06

9	वित्तीय वर्ष 2016-17	52,912	1,280.94
10	वित्तीय वर्ष 2017-18	48,398	1,312.40
11	वित्तीय वर्ष 2018-19	73,427	2,070.01
12	वित्तीय वर्ष 2019-20	66,653	1,950.82
13	वित्तीय वर्ष 2020-21	74,415	2,188.80
14	वित्तीय वर्ष 2021-22	103,219	2,977.66
15	वित्तीय वर्ष 2022-23	85,167	2,722.17
16	वित्तीय वर्ष 2023-24	89,118	3,093.88
17	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 12.07.2024 तक)	7,444	299.25
कुल		**965,921**	**25,263.32**

(ख) और (ग): पीएमईजीपी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थी उच्च मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र हैं अर्थात, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 25% और विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांग, ट्रांसजेंडरों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों हेतु 35%, जबकि शहरी क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित करने वाले सामान्य श्रेणी के लिए 15% और विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों हेतु 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत क्रियाकलापों के माध्यम से सृजित रोजगार निम्नानुसार है:

वर्ष	**ग्रामीण**				**शहरी**			
	सहायता-प्राप्त इकाइयां	**अनुमानित सृजित रोजगार**	**सृजित रोजगार (%)**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)**	**सहायता-प्राप्त इकाइयां**	**अनुमानित सृजित रोजगार**	**सृजित रोजगार (%)**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)**
वित्तीय वर्ष 19-20	53,714	429,712	**81%**	1,695.71	12,939	103,512	**19%**	255.11
वित्तीय वर्ष 20-21	60,682	485,456	**82%**	1,914.46	13,733	109,864	**18%**	274.34
वित्तीय वर्ष 21-22	84,696	677,568	**82%**	2,585.86	18,523	148,184	**18%**	391.80
वित्तीय वर्ष 22-23	68,470	547,760	**80%**	2,323.48	16,697	133,576	**20%**	398.69
वित्तीय वर्ष 23-24	68,939	551,512	**77%**	2,546.19	20,179	161,432	**23%**	547.68

(घ): विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदान की गई मार्जिन मनी सब्सिडी के संदर्भ में वित्तीय सहायता में **10% सीएजीआर की वृद्धि** देखी गई है। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी के संदर्भ में राज्य-वार वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

लाख रु. में

#	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	146.16	186.12	238.69	202.92	134.35
2	आंध्र प्रदेश	9,042.34	6,857.30	10,088.80	12,929.93	17,199.84
3	अरुणाचल प्रदेश	363.79	232.63	788.88	701.26	1,764.81
4	असम	3,589.39	4,948.48	6,659.71	5,954.20	6,406.26
5	बिहार	6,958.68	7,208.74	8,169.92	12,123.20	19,175.74
6	चंडीगढ़	28.71	16.00	62.08	44.53	22.19
7	छत्तीसगढ़	6,107.03	6,062.77	6,941.44	7,492.77	7,625.32
8	दिल्ली	110.63	147.61	315.23	471.11	334.32
9	गोवा	244.36	156.65	298.22	291.08	322.70
10	गुजरात*	28,740.29	20,637.05	28,704.84	24,182.62	32,124.58
11	हरियाणा	4,938.21	5,512.55	6,093.33	6,319.98	7,325.23
12	हिमाचल प्रदेश	3,229.32	3,381.10	3,550.95	3,149.58	3,647.92
13	जम्मू एवं कश्मीर	11,142.86	18,306.28	46,713.54	23,993.89	28,249.88
14	झारखंड	3,749.79	3,847.80	4,188.27	4,837.65	5,123.28
15	कर्नाटक	10,681.14	12,510.51	15,843.36	16,154.42	15,862.49
16	केरल	5,319.39	5,225.88	6,859.29	7,329.23	7,881.81
17	लद्दाख	-	1,168.41	1,182.31	376.09	584.66
18	लक्षद्वीप	-	15.36	17.50	2.49	-
19	मध्य प्रदेश	8,046.65	13,807.82	20,961.46	18,129.70	18,521.49
20	महाराष्ट्र**	11,215.23	8,844.29	13,018.54	13,203.32	12,204.70
21	मणिपुर	2,036.30	5,899.03	3,337.25	1,462.51	810.73
22	मेघालय	569.17	579.65	974.17	665.74	725.03
23	मिजोरम	1,083.78	1,412.46	1,461.76	1,353.86	1,755.33
24	नागालैंड	2,650.24	2,045.47	2,494.89	1,535.13	2,917.65
25	ओडिशा	7,808.85	8,748.07	11,335.95	10,731.75	9,354.84
26	पुदुचेरी	117.26	116.81	144.30	65.56	97.44
27	पंजाब	3,914.83	5,011.41	6,017.86	7,250.62	9,087.81
28	राजस्थान	8,174.68	8,806.83	9,025.60	11,418.57	12,406.43
29	सिक्किम	174.56	152.28	214.27	131.46	449.19
30	तमिलनाडु	12,347.58	13,881.57	16,445.76	17,891.66	19,871.81
31	तेलंगाना	7,137.38	6,376.33	9,846.14	10,225.11	10,811.78
32	त्रिपुरा	1,833.64	1,829.57	2,083.70	1,689.01	1,444.21
33	उत्तर प्रदेश	21,652.48	32,985.38	41,165.07	37,865.82	43,528.99
34	उत्तराखंड	3,440.03	4,536.62	3,983.20	4,631.73	4,191.69
35	पश्चिम बंगाल	8,487.40	7,425.32	8,539.63	7,408.96	7,423.17
कुल		**195,082.15**	**218,880.15**	**297,765.91**	**272,217.46**	**309,387.67**

* दमन और दीव सहित ** दादरा और नागर हवेली सहित

***